

हंद से مطالبہ کروना کہ ایک کمیٹی پر رپورٹ دینا کی ضرورت نہیں ہے اس سے دیر ہی ہو سکتی ہے - گجراتل کمیٹی کی رپورٹ جائز رپورٹ ہے - اسلئے میرا حکومت ہند سے مطالبہ ہے کہ اس ویویو کمیٹی کو قوی برخاست کریں اور گجراتل کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کیبنیٹ کے سامنے جائے - تاکہ کیبنیٹ اس پر جلدی سے جلدی طور پر کر سکے - یہی میری درخواست ہے -

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : महोदया, मैं इससे अपने आपको एसोशियेट करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि गुजरातल کمیटी के लिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू करे ।

श्री राज मोहन गांधी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं भी इससे एसोशियेट करता हूँ ।

Welfare Measures for female children in the "SAARC year of girl Child"

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, सर्क देशों में 1990 वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, हमारे देश में लड़की के जन्म पर कोई शख नहीं बजता, वैसे ही इस बालिका वर्ष में बालिकाओं के लिए कोई स्पेशल योजनाएँ नहीं बनीं जब कि दक्षेस देश बालिका वर्ष समारोहों का सरकारी समापन करने में लगे हैं ।

महोदया, "वाशिंगटन पोस्ट" की ऐलिजाबेथ बूमिलरने अपनी एक पुस्तक जो भारतीय औरती के बारे में है उसमें लिखा है कि हमारे देश में बालिका वध अब भी कितने संगठित रूप से चल रहा है कि असमर्थ लोग ही नहीं समर्थ लोग भी शिशु कन्या नहीं चाहते और बेटी को मारने के लिए दूध में नीद की गोलियाँ और आक के पत्तों का रस डाल कर नवजात बालिकाओं की हत्या की जा रही है । चार साल पहले तमिलनाडू के मदुरै जिले के एक इलाके में इस दशक में लगभग

6000 नवजात कन्याओं को विष देकर मारा गया था ।

महोदया, सन् 1901 ई० में एक हजार पुरुषों पर 972 औरतों का औसा था, वह कम होते होते 1981 में 934 रह गया । इस बालिका वर्ष में सरकार को भी इस बारे में जल्दी ही सर्वे करवाना चाहिए । बालिका भ्रूण हत्याओं के संबंध में चेतना दल द्वारा प्रस्तुत कुछ आंकड़ों के अनुसार 1978 से 1983 के बीच सेक्स डिटरमिनेशन टैस्ट के बाद 78,000 मादा भ्रूणों की हत्या की गई यानी एक वर्ष में 15,000 से अधिक बच्चियों की हत्या की गई तथा 5 वर्षों में 75 हजार से अधिक भ्रूण हत्या हुई । 8000 गर्भपातों में से 7,999 गर्भपात मादा भ्रूणों के ही थे ।

इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए कुछ सवलों पर बालिकाओं से भेदभाव एवं बालिका शिशु हत्या पर बालिका शिशुओं के लिए कुछ मांगें मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ ।

1. बालिकाओं की जनसंख्या की समुचित वृद्धि दर बनाए रखने और उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए ।

2. बालिका की अभी उम्र 20 वर्ष मानी गई है, इसे घटा कर 14 वर्ष किया जाए ।

3. बालिका को उसके "जीने के अधिकार" से वंचित करने वाली तकनीक के प्रयोग और बालिका भ्रूण को समाप्त करने की प्रथा पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाए ।

4. बाल विवाह से संबंधित "शारदा अधिनियम" में समुचित संशोधन किया जाए ।

5. बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए ।

6. बालिकाओं को अपनाए जाने या उनको ऐडॉप्ट करने में आने वाला कानूनी बाधाओं को दूर किया जाए और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए ।

7. बालिकाओं के प्रति वर्तमान सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को दूर

कग्ने के लिए बठोर प्रयास किए जाएं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव दंडनीय माना जाए ।

8. बालिकाओं के हितों की रक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु और विभिन्न रूपों में हो रहे उनके शोषण को समाप्त करने के लिए प्रयास करने हेतु महिला संगठनों को ऐसे प्रयासों में अग्रस्त किया जाए ।

9. हिंसा, उत्तेजना और बालिका बलात्कार प्रदर्शित करने वाले फिल्मी दृश्यों पर रोक के बारे में फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बठोर प्रतिबंध लगा जाए ।

10. बालिका वर्ष के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रचार माध्यमों द्वारा प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जाए; और

11. बालिकाओं के संपूर्ण विकास के लिए और उन्हें सार्थक ढंग से "समानता का अधिकार" दिलाने के लिए एक "बाल कल्याण आयोग" का गठन शीघ्र किया जाए ।

1.00 P.M.

आज ही अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में छपा कि यू.एन० द्वारा ह्यूमन राइट्स के अन्तर्गत चाइल्ड राइट्स को भी निश्चित किया गया है । अतः बालिकाओं के भी अधिकारों को सुरक्षित किया जाये यह मैं सरकार से मांग करती हूँ ।

कुमारी आलिया (उत्तर प्रदेश) : मैं इसका समर्थन करती हूँ ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मैं भी इसमें अपने आपको सम्मिलित करती हूँ ।

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): I also associate myself with this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am happy that at least one gentleman is supporting this. Anyway, all, of us support this. Now, Mr. Sunil Basu Ray.

Need to revitalise the cycle corporation of India

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I want to draw the attention of the House through you and also of the Government, in particular, the Ministry of Industry, to the peculiar problem existing in the Cycle Corporation of India in Asansol.

Madam, earlier this was known as M/s Sen-Releigh Company Limited when it was under private management. It was later nationalised on 15-10-80. After nationalisation, the situation there has become very precarious and it has become worse year by year. This Corporation has a small unit at Kalyani in Nadia district also where components are produced. Now, both the units are languishing. Actual average production of cycles was 2,13,600 per annum. But, Madam, the present average production is only 1,65,370 cycles only. Similarly, manpower also has come down. On 15-10-80, at the time of nationalisation, the manpower strength was, 4995 whereas it is only 3,550. Now, further reduction is taking place due to the voluntary retirement which is being made use of indiscriminately. So, there is a manpower crisis there now and, as a result of it, the present management also is facing some problems.

In this connection, I would like to give some figures relating to planned production after take-over by the Government. I am citing only a few figures as examples.

In 1980-81, production was 2,87,030 cycles. In 1981-83, it was 3,04,053, in 1986-87, it came down to 1,45,188 and, in 1989-90, it came further down to 78,214. You can understand that no industry can survive under such a situation. The attitude of the Government also is reprehensible. Instead of giving Plan loans, they are converting the earlier Plan loans into non-Plan loans and, presently, they are giving only non-